कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 607 राँची, दिनांक :– 31.5.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषयः– **लातेहार जिला अन्तर्गत तुबैद कोल ब्लॉक हेतु 162.394 हे0 वन भूमि (54.365 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 108.029 हे0 जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) के रूप में अंकित भूमि) के अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंगः– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 2398 दिनांक 29.10.2018, 1101 दिनांक 04.05.2019 एवं 1226 दिनांक 21.05.2019 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 460 दिनांक 01.03.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 2398 दिनांक 29.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत तुबैद कोल ब्लॉक हेतु 162.394 हे0 वन भूमि (54.365 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 108.029 हे0 जंगल–झाड़ी (Deemed Forest के रूप में अंकित भूमि) के अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy में प्राप्त हुआ है।

इस कार्यालय के पत्रांक 1217 दिनांक 30.11.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 5 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर के पत्रांक 604 दिनांक 11.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त पृच्छा का पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था। इस कार्यालय के पत्रांक 348 दिनांक 29.03.2019 द्वारा पुनः 4 बिन्दुओं वांछित सुधारोपरान्त प्रतिवेदन की माँग की गई थी। तदोपरान्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 1101 दिनांक 04.05.2019 तथा 1226 दिनांक 21.05.2019 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन अपने अनुशंसा एवं वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का अनुमोदन प्राप्त कर समर्पित किया गया है।

विदित हो कि विषयगत वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव के पार्ट–2 में पूर्व Uploaded recommendation में सुधार हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक से प्राप्त Revised recommendation इस कार्यालय के पत्रांक 580 दिनांक 27.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा MoEF&CC को website पर upload किये जाने हेतु भेजी गई थी, जिसे GoI द्वारा portal पर upload कर दिया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः–

1. प्रस्ताव के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने विहित प्रपत्र Form-A (Part-I) में **(अनुलग्नक–1A)** एवं संशोधित **Form-A (अनुलग्नक–1B)** समर्पित किया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे0 में)	गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (हे0 में)	कुल रकवा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
लातेहार वन प्रमण्डल	54.365	108.029	162.394	0.1 से 0.3

2. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 स्केल पर टोपोशीट पर प्रस्तावित वन भूमि को दर्शाते हुए हस्ताक्षरित नक्शा संलग्न है। **(अनुलग्नक–2)**
3. प्रस्तावित वन भूमि 16"= 1 मील स्केल के मानचित्र पर दर्शाया गया नक्शा संलग्न है।**(अनुलग्नक–3)**
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित N.P.V एवं C.A का वचनबद्धता (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–4)**
5. प्रस्ताव के साथ विहित प्रपत्र पार्ट–II एवं संशोधित पार्ट– II में सारी सूचनाएँ अंकित कर संलग्न है। **(अनुलग्नक–5A एवं 5B)**
6. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक का अनुशंसा पार्ट–III संलग्न है।**(अनुलग्नक–6)**
7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार की निरीक्षण टिप्पणी एवं अनुशंसा संलग्न है। **(अनुलग्नक–7)**
8. परियोजना क्षेत्र में पाये जाने वाले फ्लोरा एवं फाउना (Flora & fauna) की सूची संलग्न है। **(अनुलग्नक–8)**
9. वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। **(अनुलग्नक–1 में द्रष्टव्य)**
10. वनाधिकार अधिनियम–2006 के तहत् उपायुक्त, लातेहार का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(अनुलग्नक–9)**
11. गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन के संदर्भ में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पत्रांक 27 दिनांक 10.01.2019 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(अनुलग्नक–10)**
12. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का उपयुक्ता प्रमाण पत्र, मानचित्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। **(अनुलग्नक–11A, 11B एवं 11C)**
13. प्रस्तावित वन भूमि का डिजिटाईज्ड मैप की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी संलग्न है। **(अनुलग्नक–12)**
14. Geo-Reference Map एवं KML File की सी. डी. संलग्न है। **(अनुलग्नक–13A एवं 13B)**
15. प्रस्तावित लैण्ड शिड्यूल Cadastral Survey (CS) के आधार पर है, संबंधित उपायुक्त, लातेहार का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(अनुलग्नक–14)**
16. प्रयोक्ता संस्थान द्वारा समर्पित 'माईन्स रिक्लेमेशन प्लान' प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–15)**
17. प्रयोक्ता संस्थान द्वारा Item wise Breakup of Land भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–16)**
18. Cost Benefit Analysis एवं Revised Cost Benefit Analysis की हार्ड कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–17A एवं 17B)**
19. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, राँची का पत्रांक 1469 दिनांक 31.08.2018 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–18)**
20. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का निरीक्षण टिप्पणी/अनुशंसा प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–19)**

21. प्रस्तावित स्थल का समेकित मानचित्र संलग्न है। **(अनुलग्नक–20)**
22. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल के पत्रांक 1900 दिनांक 03.10.2018 द्वारा उप मुख्य अभियंता (मैक), दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तुबेद कॉल ब्लॉक के पत्रांक HQ/Mining/Tubed /FC/784 दिनांक 01.10.2018 द्वारा सुकरी नदी एवं नाला Shifting हेतु समर्पित अभिलेख एवं नक्शा संलग्न। इस संबंध CWPRS द्वारा किये जा रहे अध्ययन का Report दिनांक 31.05.2019 तक समर्पित किये जाने की सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है जो संलग्न है। **(अनुलग्नक–21 एवं 22)**
23. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part-IV संलग्न है। **(अनुलग्नक–23)**
24. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 162.394 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। मानक शर्त्तों पर इस परियोजना हेतु लोकहित में अनुसंशा की जाती है।

विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अतः प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

31.5.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

TUBED COAL MINE 162.394 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 162.394 ha. Forest land.

Date :- 31.05.2019

Place :- Ranchi.

Signature

31.5.2019

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)